

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)
(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र0 50 / 2013

संस्थित दि: 16 / 01 / 2013

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,

अन्तर्गत चौकी सालेटेकरी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

सत्यवान पिता पंडित सिंह मरावी, उम्र 21 साल, जाति गोंड,

निवासी भीमडोंगरी थाना थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.) आरोपी

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक — 05 / 12 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 456, 354, 294 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 07 / 01 / 2013 को रात्रि के 09:00 बजे फरियादिया के मकान ग्राम भीमडोंगरी अन्तर्गत चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा में फरियादिया प्रमिलाबाई पर हमला कारित करने के आशय से दीवार कूंदकर घर में प्रवेश कर सत्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादिया प्रमिलाबाई की लज्जा भंग करने के आशय से फरियादिया का सीना दबाया एवं सलवार को फाड़कर हमला किया/आपराधिक बल का प्रयोग किया व फरियादिया को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया प्रमिलाबाई ने दिनांक 08.01.2013 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 07.01.2013 को रात्रि 09:00 बजे सत्यवान उसके घर की दीवार कूंदकर घर के अंदर घुसकर उसे पकड़ लिया और बुरी नियत से उसका सीना दबाने लगा वह चिल्लाई। आवाज सुनकर उसकी मौसी लड़की रजनी दौड़कर आई तो आरोपी सत्यवान उसे तथा रजनी को मादर चोद, बहन चोद की गन्दी-गन्दी गालिया देने लगा और सलवार फाड़ दिया। फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरोपी सत्यवान के विरुद्ध अपराध क्रमांक 04 / 2013 अन्तर्गत धारा 456, 354, 294 का अपराध पंजीबद्ध

कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 456, 354, 294 के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 456, 354, 294 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है फरियादिया ने पूर्व की रंजिश को लेकर उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट कर उसे झूठा फंसाया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 07/01/2013 को रात्रि के 09:00 बजे फरियादिया के मकान ग्राम भीमडोंगरी अन्तर्गत चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा में फरियादिया प्रमिलाबाई पर हमला कारित करने के आशय से फरियादिया के मकान की दीवार कूदकर प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?
- (2) क्या आरोपी ने इसी, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया प्रमिलाबाई की लज्जा भंग करने के आशय से फरियादिया का सीना दबाया एवं सलवार को फाड़कर हमला किया/आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
- (3) क्या आरोपी ने इसी, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों

की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादिया प्रमिलाबाई (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग छः माह पुरानी रात्रि के 09:00 बजे की है। आरोपी सत्यवान आया और उसके घर के अन्दर घुसकर बुरी नियत से उसको पकड़कर उसका सीना दबाने लगा और उसका सलवार सूट फाड़ दिया, वह चिल्लाई। चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मौसी की लड़की रजनी आई और उसने उसे आरोपी से छुड़ाया। घटना की रिपोर्ट उसने अगले दिन चौकी सालेटेकरी में लिखाई, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-02 है।

(08) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता मनोज मागरे (अ.सा. 4) का कहना है कि उसने दिनांक 08.01.2013 को चौकी सालेटेकरी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये फरियादिया प्रमिलाबाई पिता वीरसिंह धुर्वे की रिपोर्ट पर आरोपी सत्यवान के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 456, 354, 294 का अपराध शून्य पर कायम कर असल नम्बरी हेतु थाना बिरसा भिजवाया था, जो प्रदर्श पी-01 है। फरियादिया प्रमिलाबाई की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। फरियादिया प्रमिलाबाई एवं गवाह रजनीबाई, दशरथसिंह, जुम्मीबाई, वीरसिंह के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 08.01.2013 को आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था।

(09) अभियोजन साक्षी रजनी परते (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना 07 जनवरी 2013 की रात्रि के करीब सात-आठ बजे की ग्राम भीमडोंगरी की है। वह प्रमिलाबाई के साथ घर पर थी और खाना खाने के बाद प्रमिलाबाई के साथ ही बैठी थी। आरोपी सत्यवान घर के बाहर से आवाज दिया तो वह प्रमिलाबाई घर से बाहर निकलकर गई तो आरोपी सत्यवान उससे शादी की बात कर रहा था तभी प्रमिलाबाई उनके बीच में आ गई। प्रमिलाबाई ने आरोपी सत्यवान से कहा कि वह उसके घर क्यों आता है तो आरोपी ने प्रमिलाबाई के साथ कुछ नहीं किया और वापस चला गया। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी रात्रि के 09:00 बजे उनके घर के

अन्दर घुस गया था और प्रमिलाबाई को बुरी नियत से पकड़कर उसका सीना दबाया।

(10) अभियोजन साक्षी जुगनीबाई (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग दो साल पहले ग्राम भीमडोंगरी की उसके घर की है। घटना दिनांक को वह उसके पति के साथ धान की गहनी कर रही थी तो प्रमिलाबाई रोते हुये रात के 09:30 बजे आई और उन्हें बताया कि वह और रजनी घर में थे तभी आरोपी सत्यवान घर के अन्दर आया और उसके तथा रजनी को साथ मारपीट किया और इज्जत लेने की नियत से उसका सीना दबाया तथा माँ बहन की गन्दी-गन्दी गलिया दिया। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि घटना दिनांक 07. 01.2013 की है। आरोपी प्रमिलाबाई का सीना दबा रहा था तो वह चिल्लाई तो रजनी ने बीच बचाव किया। आरोपी सत्यवान ने प्रमिलाबाई की सलवार फाड़ दी थी। दशरथ आया तो आरोपी चला गया। घटना के संबंध में प्रमिलाबाई ने उसे और उसके पति को भी बताया था।

(11) अभियोजन साक्षी वीरसिंह (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी ग्राम भीमडोंगरी की उसके घर की रात के 09:00 बजे की है। घटना दिनांक को वह उसकी पत्नी के साथ धान की गहनी कर रहा था तो प्रमिलाबाई रोते हुये रात के 09:30 बजे आई और उन्हें बताया कि वह और रजनी घर में थे तभी आरोपी सत्यवान घर के अन्दर आया और उसके तथा रजनी को साथ मारपीट किया और इज्जत लेने की नियत से उसका सीना दबाया तथा माँ बहन की गन्दी-गन्दी गलिया दिया। वह चिल्लाई तो आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाला दशरथ आया। उसके बाद आरोपी सत्यवान भाग गया। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया।

(12) अभियोजन साक्षी दशरथ (अ.सा. 6) का कहना है कि घटना रात के 08:00 बजे की है। वह रात्रि के समय दुकान से उसके घर जा रहा था तो प्रमिलाबाई के घर पर चिल्लाने की आवाज आई तो उसने जाकर देखा कि आरोपी एवं प्रमिलाबाई के बीच में वाद विवाद हो रहा था। प्रमिलाबाई कह रही थी कि यहां क्यों आये हो तब उसने बीच बचाव किया और वह अपने घर चला गया। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है

फरियादिया ने पूर्व की रंजिश को लेकर आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कर उसे को झूठा फंसाया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी रजनीबाई (अ.सा. 2), दशरथ (अ.सा. 6) एवं वीरसिंह (अ.सा. 5) ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचनाकर्ता के कथनों तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(14) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(15) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता मनोज मागरे (अ.सा. 4) का कहना है कि उसने दिनांक 08.01.2013 को चौकी सालेटेकरी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये फरियादिया प्रमिलाबाई पिता वीरसिंह धुर्वे की रिपोर्ट पर आरोपी सत्यवान के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 456, 354, 294 का अपराध शून्य पर कायम कर असल नम्बरी हेतु थाना बिरसा भिजवाया था, जो प्रदर्श पी-01 है। फरियादिया प्रमिलाबाई की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। फरियादिया प्रमिलाबाई एवं गवाह रजनीबाई, दशरथसिंह, जुम्मीबाई, वीरसिंह के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 08.01.2013 को आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था।

(16) विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी/फरियादिया प्रमिलाबाई (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग छः माह पुरानी रात्रि के 09:00 बजे की है। आरोपी सत्यवान आया और उसके घर के अन्दर घुसकर बुरी नियत से उसको पकड़कर उसका सीना दबाने लगा और उसका सलवार सूट फाड़ दिया, वह चिल्लाई। चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मौसी की लड़की रजनी आई और उसने उसे आरोपी से छुड़ाया। घटना की रिपोर्ट उसने अगले दिन चौकी सालेटेकरी में लिखाई, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-02 है तथा पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसकी मौसी की लड़की रजनी से आरोपी के अच्छे संबंध है और घटना के समय वह उसकी मौसी की लड़की के साथ में थी। यदि आरोपी

घटना दिनांक को उसकी बहन रजनी से मिलने आया तो उसे जानकारी नहीं है। उसके पिता और आरोपी के पिता का विवाद पंचायत चुनाव में हुआ था।

(17) किन्तु अभियोजन साक्षी रजनी परते (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना 07 जनवरी 2013 की रात्रि के करीब सात-आठ बजे की ग्राम भीमडोंगरी की है। वह प्रमिलाबाई के साथ घर पर थी और खाना खाने के बाद प्रमिलाबाई के साथ ही बैठी थी। आरोपी सत्यवान घर के बाहर से आवाज दिया तो वह प्रमिलाबाई घर से बाहर निकलकर गई तो आरोपी सत्यवान उससे शादी की बात कर रहा था तभी प्रमिलाबाई उनके बीच में आ गई। प्रमिलाबाई ने आरोपी सत्यवान से कहा कि वह उसके घर क्यों आता है तो आरोपी ने प्रमिलाबाई के साथ कुछ नहीं किया और वापस चला गया। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी रात्रि के 09:00 बजे उनके घर के अन्दर घुस गया था और प्रमिलाबाई को बुरी नियत से पकड़कर उसका सीना दबाया। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी दशरथ (अ.सा. 6) का कहना है कि घटना रात के 08:00 बजे की है। वह रात्रि के समय दुकान से उसके घर जा रहा था तो प्रमिलाबाई के घर पर चिल्लाने की आवाज आई तो उसने जाकर देखा कि आरोपी एवं प्रमिलाबाई के बीच में वाद विवाद हो रहा था। प्रमिलाबाई कह रही थी कि यहाँ क्यों आये हो तब उसने बीच बचाव किया और वह अपने घर चला गया। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी वीरसिंह (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी ग्राम भीमडोंगरी की उसके घर की रात के 09:00 बजे की है। घटना दिनांक को वह उसकी पत्नी के साथ धान की गहनी कर रहा था तो प्रमिलाबाई रोते हुये रात के 09:30 बजे आई और उन्हें बताया कि वह और रजनी घर में थे तभी आरोपी सत्यवान घर के अन्दर आया और उसके तथा रजनी को साथ मारपीट किया और इज्जत लेने की नियत से उसका सीना दबाया तथा माँ बहन की गन्दी-गन्दी गलिया दिया। वह चिल्लाई तो आवाज सुनकर पड़ौस में रहने वाला दशरथ आया। उसके बाद आरोपी सत्यवान भाग गया। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया।

(18) अभियोजन साक्षी जुगनीबाई (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग दो साल पहले ग्राम भीमडोंगरी की उसके घर की है। घटना दिनांक

को वह उसके पति के साथ धान की गहनी कर रही थी तो प्रमिलाबाई रोते हुये रात के 09:30 बजे आई और उन्हें बताया कि वह और रजनी घर में थे तभी आरोपी सत्यवान घर के अन्दर आया और उसके तथा रजनी को साथ मारपीट किया और इज्जत लेने की नियत से उसका सीना दबाया तथा माँ बहन की गन्दी-गन्दी गलिया दिया। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि घटना दिनांक 07.01.2013 की है। आरोपी प्रमिलाबाई का सीना दबा रहा था तो वह चिल्लाई तो रजनी ने बीच बचाव किया। आरोपी सत्यवान ने प्रमिलाबाई की सलवार फाड़ दी थी। दशरथ आया तो आरोपी चला गया। घटना के संबंध में प्रमिलाबाई ने उसे और उसके पति को भी बताया था। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी। आरोपी से उनकी पुरानी दुश्मनी है।

(19) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी रजनी परते (अ.सा. 2), दशरथ (अ.सा. 6) एवं वीरसिंह (अ.सा. 5) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। फरियादिया प्रमिलाबाई के कथनों का अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों द्वारा पुष्टि नहीं करने एवं फरियादिया के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन होने से आरोपी ने दिनांक 07/01/2013 को रात्रि के 09:00 बजे फरियादिया के मकान ग्राम भीमडोंगरी अन्तर्गत चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा में फरियादिया प्रमिलाबाई पर हमला कारित करने के आशय से दीवार कूंदकर घर में प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादिया प्रमिलाबाई की लज्जा भंग करने के आशय से फरियादिया का सीना दबाया एवं सलवार को फाड़कर हमला किया/आपराधिक बल का प्रयोग किया व फरियादिया को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(20) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 07/01/2013 को रात्रि के 09:00 बजे फरियादिया के मकान ग्राम भीमडोंगरी अन्तर्गत चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा में फरियादिया प्रमिलाबाई पर हमला कारित करने के आशय से दीवार कूंदकर घर में प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादिया प्रमिलाबाई की लज्जा भंग करने के आशय से फरियादिया का

सीना दबाया एवं सलवार को फाड़कर हमला किया/आपराधिक बल का प्रयोग किया व फरियादिया को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया, यह सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

(21) परिणाम स्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 456, 354, 294 के आरोप के अन्तर्गत दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(22) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)